**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Revision Petition No. 694/2026

Ajay Agrawal S/o Shri Nathulal Agrawal, Proprietor, Shri Vinayak Steel Traders, R/o 3121, Chautha Chauraha, Bagruwalo Ka Rasta, Chandpole Bazar, Jaipur. (Presently Accused Petitioner Is Confined Into Central Jail, Jaipur)

----Petitioner

Versus

1. The State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor
2. Bajrang Lal Agrawal (Huf Karta) Bajrang Lal Agrawal Son Of Late Shri Rameshwar Lal Agrawal, Resident Of Mittal Bhawan, Narsingh G Temple, Outside Of Surajpole Darwaza, Galta Gate, Jaipur.

----Respondents

---

| | | |
|---|---|---|
| For Petitioner(s) | : | Mr. Sandeep Sharma, Adv.<br>Mr. Krishan Kumar Yadav, Adv. |
| For Respondent(s) | : | Mr. Devi Singh, PP<br>Mr. Mahesh Chand Gupta, Adv. |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS**
**Judgment / Order**

**06/05/2026**

आईए–1/26 पर सुना गया।

दण्डादेश स्थगन आवेदन पर आज ही सुनवाई की जा रही है, अतः निगरानी याचिका के संबंध में शीघ्र सुनवाई का आवेदन अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

**In Criminal Misc. (SOS) Appl. No. 180/2026**

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत सजा स्थगन/ जमानत आवेदन पर उभय पक्ष को सुना गया।

अभियुक्त को विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांकित **16.01.2026** द्वारा धारा 138 एन.आई.एक्ट के अपराध में दोषसिद्ध करार देते हुए साधारण कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया जिसके विरूद्ध अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अपील विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांकित 02.04.2026 के माध्यम से आंशिक रूप से स्वीकार कर दोषसिद्धी की

पुष्टि की गयी तथा प्रतिकर राशि उपान्तरित कर 16,50,000/—रूपये के स्थान पर 10,00,000/—रूपये अधिरोपित की गयी।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का निवेदन है कि अभियुक्त वर्तमान में दिनांक 02.04.2026 से अभिरक्षा में है, वह रिहाई पूर्व ही इस न्यायालय द्वारा आदेशित राशि विचारण न्यायालय में जमा कराने हेतु तत्पर है, निगरानी याचिका के निस्तारण में समय लगेगा, अतः सजा स्थगन आवेदन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

सुना गया एवं विचार किया गया। धारा 148 प्रकाम्य विलेख अधिनियम के प्रावधानों की मंशा को देखते हुए, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किये बिना, यह दण्डादेश स्थगन का आवेदन अभियुक्त की ओर से **2,50,000/—रूपये** की राशि का परिवादी के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट अधीनस्थ विचारण न्यायालय में जमा कराने की पूर्ववर्ती शर्त पर स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि याची/अभियुक्त इस न्यायालय में दिनांक **08.06.2026** को एवं तत्पश्चात जब भी उसे आदेशित किया जावे, अपनी उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये** का बंधपत्र एवं **पचास—पचास हजार रूपये** की दो जमानतें विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए तथा विद्वान विचारण न्यायालय (विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन आई एक्ट प्रकरण, क्रम—1, जयपुर महानगर, द्वितीय द्वारा दांडिक प्रकरण संख्या 1086/2019 में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांकित 16.01.2026 एवं विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा **संशोधित** निर्णय के तहत पारित **दण्डादेश (sentence)** के कियान्वयन को इस पुनरीक्षण याचिका के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

अभियुक्त यदि निगरानी में सफल रहने पर परिवादी **07 प्रतिशत** वार्षिक ब्याज सहित प्राप्तशुदा राशि वापस अभियुक्त को लौटाने बाबत् बंध पत्र विचारण न्यायालय में पेश कर दे, तो उपरोक्त जमाशुदा राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट विचारण न्यायालय द्वारा बाद रसीद परिवादी को अदा कर दिया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

Murari Lal Sharma /114